दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 8 मार्च,2002 फाल्गुन 17,1923(शक)

संख्या : 189

(1)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा के बारहवें सत्र का प्रारम्भः

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का बारहवां सत्र मंगलवार, दिनांक 26 मार्च,2002 को पूर्वाहन 11.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा ।

(2) उपराज्यपाल का अभिभाषण :

वर्ष का पहला सत्र होने के कारण उपराज्यपाल 26 मार्च,2002 को पूर्वाहन 11.00 बजे विधान सभा को सम्बोधित करेंगे । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाह्न 10:50 बजे तक सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

उपराज्यपाल के अभिभाषण के 10 मिनट के पश्चात, सूचीबद्ध कार्य के निष्पादन के लिये सदन की विधिवत् बैठक होगी ।

(3) बारहवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटनः

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 26,27,28 मार्च और 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15 और 16 अप्रैल, 2002 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

311

(4) विधान सभा की बैठकों का समयः

26 मार्च, 2002 को छोडकर, जब उपराज्यपाल विधान सभा को 11.00 बजे सम्बोधित करेंगे, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2:00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये ।

(5) प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेटः

तीन सप्ताह के लम्बी अवधि के सत्र को मददेनजर रखते हुए प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं बैलेटिंग की तिथि इस प्रकार से निर्धारित की गई है जिससे कि सदन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे तथापि बजट सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेगी ।

(6) बारहवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन (नियम-37)

मंत्रियों द्वारा बारहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धरित किया गया है :-

कम सं0	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम 2 में दर्शाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि	मौलिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि ।
1	2	3	4	5
(1)	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन विकास, आबकारी, श्रम,विधि एवं न्याय तथा विधायी कार्य	27.3.2002 (बुधवार)	14.3.2002 (वृहस्पतिवार) 3.00 बजे तक	14.3.2002 (वृहस्पतिवार) 5 .00 बजे
		8.4.2002 (सोमवार)	22.3.2002 (शुक्रवार) 3.00 बजे तक	22.3.2002 (शुक्रवार) 5 .00 बजे

312

(2)	बिक्रीकर, गुरद्वारा चुनाव एवं गुरुद्वारा प्रशासन, वित्त, समाज कल्याण अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण,योजना तथा उर्जा	28.3.2002 (बृहस्पतिवार)	15.3.2002 (शुक्रवार) 3.00 बजे तक	15.3.2002 (शुक्रवार) 5 बजे
		9.4.2002 (मंगलवार)	22.3.2002 (शुक्रवार) 3.00 बजे तक	22.3.2002 (शुक्रवार) 5.30 बजे
(3)	सेवाएं, चुनाव, शिक्षा,प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा.	1.4.2002 (सोमवार)	15.3.2002 (शुक्रवार) 3 बजे तक	15.3.2002 (शुक्रवार) 5.30 बजे
		10.4.2002 (बुधवार)	26.3.2002 (मंगलवार) 3 बजे तक	26.3.2002 (मंगलवार) 5 बजे
(4)	खाद्य एवं आपूर्ति, खाद्य अपमिश्रण निवारण, परिवहन, जनसंपर्क और पर्यटन ।	2.4.2002 (मंगलवार)	18.3.2002 (सोमवार) 3 बजे तक	18.3.2002 (सोमवार) 5 बजे
		11.4.2002 (बृहस्पतिवार)	26.3.2002 (मंगलवार) 3 बजे तक	26.3.2002 (मंगलवार) 5:30 बजे
(5)	शहरी विकास, सतर्कता, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन और गृह ।	3.4.2002 (बुधवार)	19.3.2002 (मंगलवार) 3 बजे तक	19.3.2002 (मंगलवार) 5.00 बजे
		12.4.2002 (शुक्रवार)	27.3.2002 (बुधवार) 3 बजे तक	27.3.2002 (बुधवार) 6.15 बजे
(6)	चिकित्सा, जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, कारागार, राजस्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं जल	4.4.2002 (बृहस्पतिवार)	20..3.2002 (बुधवार) 3 बजे तक	20..3.2002 (बुधवार) 5 बजे
		15.4.2002 (सोमवार)	28.3.2002 (बृहस्पतिवार) 3 बजे तक	28.3.2002 (बृहस्पतिवार) 6:15 बजे
(7)	भूमि एवं भवन सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण उद्योग, भाषा, कला एवं साहित्य, सहकारिता और लोकनिर्माण तथा आवास ।	5.4.2002 (शुक्रवार)	21.3.2002 (वृहस्पतिवार) 3 बजे तक	21.3.2002 (वृहस्पतिवार) 5 बजे
		16.4.2002 (मंगलवार)	1.4.2002 (सोमवार) 3 बजे तक	1.4.2002 (सोमवार) 6:15 बजे

313

टिप्पणी

1. प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम 31(xxii)

2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3:00 बजे तक है ।
3. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयीं सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें नियम-31(7) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।
5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।
6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष में दिये गये समयानुसार की जायेगी । सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं ।
7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31 (13) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

(7) नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन /तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे तक दे सकते हैं । प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11:15

314

बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी ।
माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।
सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस समय उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए ।

(8) गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

शुक्रवार 5 अप्रैल, 2002 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आबंटित की गयी है । गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18,मार्च, 2002 को अपराह्न 3 बजे तक है ।

शुक्रवार 12 अप्रैल, 2002 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के लिए आबंटित की गयी है जिनकी सूचनाएं 26 मार्च, 2002 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त की जा सकती है । 26.3.2002 को अपराह्न 4 बजे सचिव के कक्ष में बैलेटिंग होगी । माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है ।

(9) नोटिसों की प्रक्रिया

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 265 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं:-

(1) प्रत्येक नोटिस जिसकी नियमों के अंतर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह उनके कार्यालय में कार्यसमय के भीतर दी जायेगी ।

(2) जब तक नियमों में अन्यथा उपबंध न हो, नोटिस जो कार्यालय में उपर्युक्त नियमों में दिये गये समय के उपरान्त

315

अन्य किसी समय में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी ।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए । नोटिस कार्यालय कमरा नंबर-46 (समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय से आगे) स्थित है ।

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

(घ) विधान सभा नोटिस कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

(ङ) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच है ।

(10) <u>दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्या दिवस को अपराह्न 5:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुतकिये जाएं । उदाहरणार्थ 26.3..2002 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 22.3.2002 को (23,24 एवं 25.3.2002 को अवकाश होने के कारण) अपराह्न 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये

316

आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यता उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हों ।

टिप्पणी:

कृपया सेल्यूलर टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें । यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें ।

एस.के.शर्मा
सचिव

317